न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2018

प्रार्थीगण –

1. जाफर अली पुत्र उमर शाह
   जाति सैयद मुसलमान निवासी
   सिणधरी चौसीरा तहसील
   सिणधरी जिला बाड़मेर
2. अनवर अली पुत्र उमर शाह
   जाति सैयद मुसलमान निवासी
   सिणधरी चौसीरा तहसील
   सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. दीदार अली पुत्र यासीन अली
2. साबत अली पुत्र यासीन अली
3. मेहबूब हसन पुत्र यासीन अली
   जाति सैयद मुसलमान निवासी
   सिणधरी चौसीरा तहसील
   सिणधरी जिला बाड़मेर
4. ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा
   जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
   सिणधरी चौसीरा
5. रमेश कुमार सचिव ग्राम
   पंचायत सिणधरी चौसीरा

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 71 दिनांक 06.06.2013 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी किया गया द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा।

उपस्थिति :–
1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 04.10.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 4 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम सिणधरी चौसीरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 71 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

06.06.2013 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 356.27 वर्ग गज दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज का पुश्तैनी कब्जाशुदा एवं स्वामित्व का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के वार्ड संख्या 3 में आया हुआ था जिसका मौखिक बंटवाडा पक्षकारान के पूर्वज उमरशाह द्वारा किया गया था। सभी वारिसान उक्त मौखिक बंटवाडे के अनुसार बंट के हिस्से में पिछले 40 वर्षों से अधिक अवधि से अपने-अपने आवासीय मकान में निवास करते आ रहे हैं। करीब 6 माह पूर्व प्रार्थी संख्या 1 ने जब अपने हिस्से की भूमि पर पुराने मकान के स्थान पर नया मकान बनाना प्रारम्भ किया तब अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उसे धमकाने लगे और प्रार्थी संख्या 1 के कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप कर कहने लगे कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी कर लिया है। इस पर प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य पट्टे की नकल मांगने पर सर्वप्रथम पट्टे के दूषित होने की जानकारी हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 141 से 157 की प्रावधानों की घोर अवहेलना की है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई पत्रावली कायम की गई और न ही फाईल खोलने व नक्शा बनाने की फीस जमा करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त पट्टा जारी करने में अप्रार्थी संख्या 5 की सांठ–गाठ से कार्यवाही छिपाते हुए मौका कमेटी का गठन किये बिना तथा आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस विवादित भूमि पर मोतबिरान के रूबरू चस्पा करवाया गया। इसी प्रकार अंतिम विनिश्चय और अंतिम निर्णय की कार्यवाही पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में लेखबद्ध नहीं की गई है। यदि अब कोई पत्रावली बनाई गई तो वह फर्जी कार्यवाही करके पुरानी तारीखों में बनवाई गई है जो पूर्णतया अवैध एवं निरस्त योग्य है।

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करवाने से पूर्व मौका का नक्शा बनवाने की रूपये 25/– की फीस जमा करवाने का भी कोई विवरण नहीं है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम 157(2) के अनुसार पट्टा महिला मुखिया के नाम से जारी करने के प्रावधान का भी उल्लघंन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने में नियमों से परे जाकर अधिकतम 300 वर्ग गज नाप से अधिक 356.27 वर्ग गज का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नाम से जारी कर दिया है। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय बालोतरा में दायर दीवानी वाद में भी कमिश्नर की रिपोर्ट प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध एवं दूषित होने से निरस्त फरमाया जावे। साथ ही प्रार्थीगण को सभी अप्रार्थीगण से खर्चा भी दिलवाया जावे और अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध विधि की अवहेलना करने और फर्जी कार्यवाही करने का तथ्य प्रमाणित होने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही फरमाई जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना [illegible] रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्र[illegible]गण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत सिणधरी चौसीरा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 04.11.2011 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.06.2013 के संकल्प संख्या 3 के अनुसरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में नियम 157(2) के तहत आलौच्य पट्टा संख्या 71 दिनांक 06.06.2013 को जारी किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज का पुश्तैनी कब्जाशुदा एवं स्वामित्व का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के वार्ड संख्या 3 में आया हुआ था जिसका मौखिक बंटवाडा पक्षकारान के पूर्वज उमरशाह द्वारा किया गया था। सभी वारिसान उक्त मौखिक बंटवाडे के अनुसार बंट के हिस्से में पिछले 40 वर्षों से अधिक अवधि से अपने–अपने आवासीय मकान में निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी कर लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 141 से 157 की प्रावधानों की घोर अवहेलना की है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई पत्रावली कायम की गई और न ही फाईल खोलने व नक्शा बनाने की फीस जमा करवाई गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 04.11.2011 को ग्राम पंचायत सिणधरी के समक्ष पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। भूखण्ड के निरीक्षण प्रपत्र में मौके पर आवास कब्जा निर्मित तथा अन्य किसी की हकदारी नहीं होना बता पट्टा देना उचित अंकित किया है। उक्त पत्रावली में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन मे पुराने कब्जे का कोई दस्तावेजी सबूत अथवा पड़ोसियों के बयान गवाह आदि नहीं लिये गये हैं। उक्त पट्टा विलेख 356.27 वर्ग गज का जारी किया गया है जबकि धारा 157(2) के तहत नियमानुसार 300 वर्ग गज तक का भूखण्ड ही

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नियमित किया जा सकता है एवं उक्त पट्टा महिला सदस्य के नाम ही जारी किया जाना चाहिए। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उक्त पुश्तैनी भूखण्ड से संबंधित सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में मौका कमिश्नर रिपोर्ट में प्रार्थीगण का कब्जा होना पाया है। इसके साथ ही आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित किया जाना अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने का जो संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.06.2013 पारित किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं निर्धारित भूखण्ड नियमितीकरण सीमा से बाहर जाकर पारित किया गया है जो काबिल खारिज है। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.06.2013 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2013 में पारित प्रस्ताव सं. 3 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:20 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर